क्रमांक–43/271/इ.टे./2017–18/4638
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ईमेल– ceproc.encwrd.bpl@nic.in
फोन– 0755–2767635/2573438 फेक्स–0755–2552406

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
.....
.....
.....

विषय :– ई–टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने की प्रकिया संबंधी निर्देश।

संदर्भ :– 1. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग का पत्र कं–3–7/2016/41–2 भोपाल, दिनांक 19.11.2018.
2. जल संसाधन विभाग का पत्र कं–22(ए) 326–ए/एम.पी.एस./31/1940 भोपाल, दिनांक 20/11/2018.
3. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग का पत्र क्रमांक 1837/2018/41–2 भोपाल, दिनांक 14/11/2018.

––00––

निविदाओं हेतु वर्तमान में प्रचलित पोर्टल पर नवीन निविदाओं के आमंत्रण की सेवाएं बंद कर दी गई है। अतः संभाग स्तर पर पोर्टल पर अपूर्ण निविदाओं की कार्यवाही पूर्ण कराने अथवा अंतिम रूप से बंद कराना सुनिश्चित करें।

भविष्य में जारी की जाने वाली समस्त निविदाओं को नेशनल इन्फॅमेटिक्स सेंटर द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में जारी संदर्भित आदेशों की प्रति संलग्न है। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(ए.के. जैन)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्रमांक– /271/इ.टे./2017–18/ 4639 भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल।(वेब साइट के माध्यम से)
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल।(वेब साइट के माध्यम से)
3. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, कक्ष कं. 320 तृतीय तल, भोपाल।

(ए.के. जैन)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

1
24-11-18

MPS

मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 1837/2018/41-2 भोपाल, दिनांक 14 नवंबर 2018
15

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)	22/11	E.E. (V)
S.E.(Major)		E.E. (B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

20 NOV 2018

E-in-C.

विषय :- ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधीन विभिन्न कार्यालयों एवं उपक्रमों के प्रोक्योरमेंट अधिकारियों को मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निविदा आमंत्रण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसे अब नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया है। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पूर्व पोर्टल पर सेवाएं बंद करते हुए नए पोर्टल पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन सेवा के प्रारंभ के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

पुराने पोर्टल पर उपलब्ध निविदा विवरण से स्पस्ट होता है कि विभिन्न विभागों के प्रोक्योरमेंट अधिकारियों द्वारा लम्बी अवधि से कई निविदाएं अपूर्ण छोड़ दी गई हैं, जिनके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे एम0पी0 एस0ई0डी0सी0 के नोडल ऑफिसर श्री नन्दकिशोर बृह्मे से लंबित निविदाओं की सूची प्राप्त कर, उनकी अपूर्ण निविदाओं की कार्यवाही पूर्ण करने अथवा अंतिम रूप से उन निविदाओं को बंद करने की कार्यवाही दिनांक 30 नबम्बर 2018 के पूर्व सुनिश्चित करें।

शासन ज.सं. विभाग मंत्रालय
जावक क्र. (1)/एस.सी./31/1828
भोपाल दिनांक 19/11/18

(प्रमोद अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

S.E.(P)
24-11

EinC
MDS
immediately please
for necessary action M.
19/11/18
24/11/18

2
21-11-18

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

पत्र क्र. 22 (ए) 326 –A / MPS / 31 / 1940 भोपाल, दिनांक 20/ 11 / 2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषयः– ई–टेण्डरिंग व्यवस्था को लागू करने के संबंध में।

–000–

उपरोक्त विषयक के संबंध में म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रद्योगिक विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 19–11–2018 की प्रति तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

20/11/18
(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल म.प्र.
22 NOV 2018
कक्ष.........

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E. (N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E. (V)
S.E.(Major)		E.E. (B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

E.N.C.

CE(P) for immediate n.a.p.
22/11/18

SE(P)
24.11

(10)

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक : 19 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 3-7/2016/41-2 : सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के आदेश दिनांक 06/12/2014 के द्वारा सभी विभागों में रू. 2 लाख से अधिक की निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश दिनांक 13/08/2018 के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एन.आई.सी. का चयन सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था को लागू करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) ई-टेंडरिंग व्यवस्था में भाग लेने के लिये निविदाकर्ता को एन.आई.सी. द्वारा संस्थापित पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रथम वर्ष के लिये पंजीयन शुल्क रू. 500/- होगा, जिसका वार्षिक नवीनीकरण एक वर्ष पश्चात् कराना होगा। नवीनीकरण शुल्क रू. 100/- प्रतिवर्ष होगा। दिनांक 30/11/2018 तक पंजीयन नि:शुल्क किया जा सकेगा। पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। दिनांक 30/11/2018 तक पंजीयन नि:शुल्क किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वार्षिक नवीनीकरण नहीं होने पर पुन: पंजीयन कराना होगा, जिसके लिए रु. 500/- शुल्क देय होगा।

(2) निर्माण विभाग से संबंधित निविदाओं में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता का पंजीयन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से कराना अनिवार्य होता है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोक निर्माण विभाग में पूर्व से पंजीकृत निविदाकर्ताओं को भी ई-टेंडरिंग पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

(3) ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन में समस्त लेन-देन इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जाने हैं। इस हेतु इंडसइंड बैंक का चयन किया गया है। इंडसइंड बैंक द्वारा ई-टेंडरिंग व्यवस्था में होने वाले ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा इंडसइंड बैंक में 02 खाते खोले जायेंगे, एक खाता ऐसे समस्त विभागों के लिये होगा, जिन्हें कोषालय के माध्यम से लेन-देन करना अनिवार्य है एवं दूसरा खाता सार्वजनिक उपक्रमों के लिये होगा, जिनके लेन-देन बैंकों के माध्यम से किये जाते हैं।

(5) प्रत्येक निविदा के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण होने पर टेंडर फीस का भुगतान संबंधित विभाग अथवा उपक्रम को किया जायेगा। इस हेतु उपक्रमों के लिये बैंक खाते का पूरा विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर संबंधित उपक्रम द्वारा दर्ज किया जायेगा। शासकीय विभागों के द्वारा पोर्टल पर भरी गई जानकारी के आधार पर कोषालय में जमा करने हेतु चालान की प्रति इंडसइंड बैंक द्वारा तैयार की जायेगी, जिसमें विभागीय आय का शीर्ष दर्ज होगा। शासकीय खाते में सायबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान जमा करने का दायित्व इंडसइंड बैंक का होगा।

(6) वर्तमान में विभागों में ई.एम.डी. प्राप्त करने की अलग-अलग प्रक्रिया प्रचलित है, कुछ विभागों में इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. ली जाती है वहीं कुछ विभागों में बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. के

माध्यम से ई.एम.डी. ली जाती है । नए पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

(7) निविदा में भाग लेने के लिये पंजीकृत निविदाकर्ता को ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपने लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा तथा संबंधित निविदा का चयन करना होगा । निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता को टेंडर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं ई.एम.डी. (इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. जमा करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध) का भुगतान करना होगा । यह तीनों प्रकार के भुगतान एक ही बार में नेट बैंकिंग/ आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किये जा सकते हैं। आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किये गये भुगतानों की पुष्टि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् पोर्टल से की जा सकेगी।

(8) निविदा की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर अयोग्य निविदाकर्ता की ई.एम.डी. वापस करने की सुविधा उपलब्ध है। तकनीकी परीक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे निविदाकर्ता को निविदा अस्वीकृति का कारण ज्ञात हो सकेगा । यह जानकारी सर्वसाधारण को भी उपलब्ध रहेगी । तकनीकी परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर पोर्टल के माध्यम से इंडसइंड बैंक को इस आशय की सूचना प्रेषित की जायेगी । पोर्टल से सूचना प्राप्त होने के आगामी कार्य दिवस में बैंक द्वारा संबंधित निविदाकर्ता को ई.एम.डी. की राशि वापस की जायेगी। राशि की वापसी नेट बैंकिंग/ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से उसी बैंक खाते में की जायेगी, जिसके माध्यम से राशि पूर्व में जमा की गई हो।

(9) तकनीकी परीक्षण में योग्य पाये गए निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तावित निविदा मूल्य को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जायेगा। यह जानकारी भी सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध रहेगी।

(10) सफल निविदाकर्ता के द्वारा विभाग के साथ अनुबंध किये जाने उपरांत विभागीय अधिकारियों के द्वारा वर्क आर्डर जारी किया जायेगा। निविदाकर्ता के साथ किये गये अनुबंध एवं वर्क आर्डर का विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। यह विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के पश्चात् पोर्टल से ई.एम.डी. वापस करने की सूचना इंडसइंड बैंक को दी जायेगी। तकनीकी परीक्षण में योग्य पाये गये शेष निविदाकर्ताओं की ई.एम.डी. उपरोक्त पैरा-8 में दिये गये निर्देश के अनुरूप वापस की जा सकेगी।

(11) प्रत्येक निविदा के संबंध में निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के एक दिवस पश्चात् प्राप्त टेंडर फीस का भुगतान इंडसइंड बैंक द्वारा संबंधित विभाग अथवा उपक्रम को किया जायेगा। इस हेतु उपक्रमों के लिये बैंक खाते का पूरा विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर संबंधित उपक्रम द्वारा दर्ज किया जायेगा। शासकीय विभागों के प्रकरणों में विभाग द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर चालान की प्रति तैयार की जायेगी, जिसमें विभागीय आय का शीर्ष दर्ज होगा। शासकीय खाते में सायबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान जमा करने का दायित्व इंडसइंड बैंक का होगा। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक जमा किये गये चालानों का विवरण तथा उपक्रमों के बैंक खातों में जमा राशि का विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का दायित्व भी इंडसइंड बैंक का होगा।

(12) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर उपलब्ध जमा राशि के विवरण का मिलान कोषालय से अथवा उपक्रमों के बैंक खातों से किया जाना होगा। इस मिलान का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग / उपक्रम के उन अधिकारियों का होगा, जिन्हें यह दायित्व सौंपा गया हो।

(13) एन.आई.सी. के माध्यम से ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया में होने वाला व्यय एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा वहन किया जाना है, इस हेतु निविदाकर्ताओं से ली जाने वाली प्रोसेसिंग फीस

एवं पंजीयन फीस एम.पी.एस.ई.डी.सी. को प्राप्त होगी। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के एक दिवस पश्चात् प्रोसेसिंग फीस की राशि एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते में जमा करने का उत्तरदायित्व इंडसइंड बैंक का होगा। पोर्टल पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पिछले माह में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस एवं पंजीयन फीस की जानकारी इंडसइंड बैंक द्वारा अपलोड की जायेगी।

(14) निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यदि कोई निविदा निरस्त की जाती है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस तथा ई.एम.डी. की राशि निविदाकर्ता को वापस की जावेगी। यदि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात निविदा निरस्त की जाती है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि में से मात्र ई.एम.डी. की राशि निविदाकर्ता को वापिस की जावेगी।

(15) एन.आई.सी. के द्वारा विकसित पोर्टल पर निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने तथा ई.एम.डी. की राशि जब्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रसाद ढवले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 3-7/2016/41-2 भोपाल दिनांक 19 नवम्बर 2018

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीजी, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग,
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल,
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

CE (P)

कृपया उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

24/11/18